# कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
# जनपद न्यायालय, हाथरस।

## इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड एवं फल–फ्रूट चाट–चबैना की दुकान को वित्तीय वर्ष 2023–2024 (दिनॉक 01.04.2023 से दिनॉक 31.03.2024 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपरोक्त ठेके की नीलामी हेतु **दिनॉक 24.02.2023 दिन शुक्रवार, समय सायं 04:00 बजे** जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

नीलामी की आवश्यक शर्ते :–

01. यह ठेका दिनॉक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 20,000/– (बीस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2023 तथा 01 अक्टूबर–2023) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
11. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।
12. कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

7/2/2023

(राम प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, हाथरस।

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), जनपद न्यायालय, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. यह ठेका दिनाँक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत जोड़कर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रू० 20,000/– (बीस हजार) की धनराशि को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25–25 प्रतिशत की 02 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई–2023 तथा 01 अक्टूबर–2023) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
05. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
06. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
07. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे–सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
08. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।
09. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
10. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रूपये का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
11. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।
12. कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

(राम प्रताप सिंह)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, हाथरस।